पत्रांक–01 / कार्य–30–39 / 2026...../

मुख्य अभियंता का कार्यालय

सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

E-mail-cewrdoffice@gmail.com

प्रेषक,

ई0 दीपक कुमार,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा।

मोतिहारी, दिनांक.....2026

विषयः– Construction of 4-laning of Masarakh to chakia (km 86 to km 143 NH-227A) के निर्माण हेतु परियोजना के मार्गरेखन में पड़ने वाले तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया के अंतर्गत विभिन्न बिन्दुओं यथा–1. हमिदपुर उप लघु नहर के कि0मी0–0.15 (CH-30+885), 2. हमिदपुर उप लघु नहर के कि0मी0–2.74 (CH-28+800), 3. केसरिया वितरणी के कि0मी0–17.17 (CH-31+100), 4. भुसौलिया उप वितरणी के कि0मी0–5.39 (CH-35+500), 5. पकड़ी दिक्षित लघु नहर के कि0मी0–1.52 (CH-40+370), 6. मेहसी वितरणी के कि0मी0–3.70 (CH-42+385) तथा 7. शीतलपुर उप लघु नहर के कि0मी0–0.40 (CH-47+040) पर बॉक्स कल्वर्ट / बॉक्स टाईप एम0एन0बी0 निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण में सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा का पत्रांक–1214 दिनांक–22.09.2026 तथा अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी का पत्रांक–1603 दिनांक–01.10.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–485 दिनांक–29.08.2024 के आलोक में तकनीकी जाँच समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में तकनीकी जाँच समिति द्वारा लिये गये निर्णय / अनुशंसा के आलोक में आपको विषयांकित स्थल पर प्रथम चरण में बॉक्स कल्वर्ट / बॉक्स टाईप एम0एन0बी0 निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती हैः–

1. नहर के प्रस्तावित आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट निर्माण के U/S में 40 मी0 एवं D/S में 40 मी0 की लम्बाई में नहर का सुरक्षात्मक कार्य यथा–पी0सी0सी0 लाईनिंग कार्य इत्यादि कार्यकारी विभाग (कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा) को अपने खर्च से कराना होगा, नहर के मूल स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किये जाने, सेवापथ की Continuity बनाये रखने तथा नहर भाग में आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रस्तावित स्थल पर बॉक्स कल्वर्ट / बॉक्स टाईप एम0एन0बी0 निर्माण कार्य हेतु मात्र सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान किया जा रहा है। मात्र सैद्धांतिक सहमति के आधार पर संरचना का वास्तविक निर्माण नहीं किया जाय।
3. तद्नुसार प्रस्तावित स्थल के जलीय एवं भूगर्भीय आँकड़ों के आधार पर प्रस्तावित संरचना का तकनीकी रूपांकण एवं आलेख्य अपने संबंधित सक्षम तकनीकी प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त द्वितीय चरण हेतु संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से NOC निर्गत करने का प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(दीपक कुमार)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

कृ0पृ0उ0.....

ज्ञापांक–01 / कार्य–30–39 / 2026..... / मोतिहारी, दिनांक–..... / 2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी / कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वर्णित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय परिपत्र संख्या–485 दिनांक–29.08.2024 में वर्णित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेश है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि नहर संचालन के दौरान उक्त के आधार पर किसी प्रकार का कार्य कार्यस्थल पर न हो। अन्यथा की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही क्षेत्रीय अभियंताओं की होगी।

ह0 / –
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

ज्ञापांक–01 / कार्य–30–39 / 2026 3596 / मोतिहारी, दिनांक– 13/10 / 2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय पत्रांक–189 दिनांक–22.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/26
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन, मोतिहारी।
12/10/2026